

परिशिष्ट-तीन

प्रपत्र-3

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) को देखें

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढवाल

पत्रांक/सेवा-6/मान्यता/स्थाई/11870 /2019-20 दिनांक- 11 जनवरी 2019

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक

शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल बलकण्डी देहलचोरी
विकास खण्ड- कोट
पौड़ी गढवाल।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अनियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय में किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय को कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु स्थाई मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसका आय प्रमाण, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं किया जाएगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
(तीन) किसी भी बच्चे का प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(पाच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वेसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगा।
(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे और
(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।



Manager

Shemford Futuristic School
Belkandi Pauri Garhwal


Principal

Shemford Futuristic School
Belkandi Pauri Garhwal

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,
 - कुल निर्मित क्षेत्र,
 - खेल के मैदान का क्षेत्र,
 - कक्षा-कक्षाओं की कुल संख्या,
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष,
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय,
 - पेयजल की सुविधा
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर
 - बाधारहित पहुंच,
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 को 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेषा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणों तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.....153.....है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा।
19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।


Manager
Shemford Futuristic School
Belkandi-Pauri Garhwal


Principal
Shemford Futuristic School
Belkandi, Pauri Garhwal

(एम0एस0रावत) 11/2011
 प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी,
 पौड़ी गढ़वाल